

NCCM/का.२ राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान


.....गुरमीत सिंह.....

बनाम.....

डाक्टर सिंह

किस्म मुकदमा.....अन्तर्गत धारा.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
११/११/१२	<p>डा.पु.पतावली फौजदारी / वक्तुवार - अपास्थित कार्य। वास्ते शेष लक्ष्मी प्रसिवादीगण, वकील वादी ने समय चूरा। प्रत्येक पूर्व में भी कई बार अवसर दिये जाने एवं प्रकरण को अदम्य अदम्यी अनुपालना में खारिज कर दिये जाने की सिद्धांत दिये जाने के उपरान्त वकील वादी ने दिनांक 19/01/2022 में जारी सखी साबल आदेशों की पालना जातिनांक तक नहीं की है। बार-बार अवसर एवं सिद्धांत दिये जाने के उपरान्त वकील वादी ने न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है। जस: वादी के वाद को अदम्य अदम्यी अनुपालना तबवी शेष अह्म 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता है। प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही इसी स्तर पर रूपा की जाती है। पतावली फौजदारी शूमार लेकर नम्बर से रुम ली। वाद संकमील प्रमा बिना लेख भण्डार ली। सुनाया गया।</p>	



 सहायक कलक्टर
 मुण्डावर (अलवर) राज0

10019 (10/10) राजस्थान सरकार
 न्यायालय उग्रखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उपवान

बनाम

मुकद्मा.....अन्तर्गत धारा.....

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>२।॥॥२२ प्राप्त प्राप्त पत्रावली नमूना नमूना पत्रावली के साथ पेश हुई। कानून के अन्तर्गत कार्य। नमूने के साथ प्रार्थी की मूल नमूना पत्रावली के साथ बकायगी अनुपात आदेश के नियम 5 के तहत खारिज की गयी बुकी है। स्थिति में इस प्राप्त पत्रावली का कोई बोनस नहीं रहे गया है। अतः यह प्राप्त पत्रावली नमूने के साथ अनुपात अनुपात में खारिज की जाकर प्रकृष्ट की जायेगी। कार्यवाही इसी स्तर पर होप की जाती है। पत्रावली के साथ शुमार लेकर नम्बर से कम ही। बाद तकमील सेल नमूना नमूना पत्रावली रहे। सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0 </p>	